

मुम्बई उच्च न्यायालय (गोवा, दमण और दीव पर अधिकारिता का विस्तारण) अधिनियम, 1981

(1981 का अधिनियम संख्यांक 26)

[9 दिसम्बर, 1981]

मुम्बई उच्च न्यायालय की अधिकारिता का गोवा, दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र पर विस्तार करने के लिए पणजी में उस उच्च न्यायालय की एक स्थायी न्यायपीठ स्थापित करने के लिए और उससे संबद्ध विषयों के लिये उपबन्ध करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के बत्तीसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मुम्बई उच्च न्यायालय (गोवा, दमण और दीव पर अधिकारिता का विस्तारण) अधिनियम, 1981 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. परिभाषाएं—इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अभिप्रेत न हो,—

(क) “नियत दिन” से वह तारीख अभिप्रेत है जिसको यह अधिनियम प्रवृत्त होता है;

(ख) “न्यायिक आयुक्त का न्यायालय” से गोवा, दमण और दीव के लिए न्यायिक आयुक्त का न्यायालय अभिप्रेत है।

3. मुम्बई उच्च न्यायालय की अधिकारिता का गोवा, दमण और दीव पर विस्तारण—(1) नियत दिन से ही मुम्बई उच्च न्यायालय की अधिकारिता का गोवा, दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र पर विस्तार होगा।

(2) नियत दिन से ही न्यायिक आयुक्त का न्यायालय कार्य करना बंद कर देगा और इसके द्वारा उसे समाप्त किया जाता है :

परन्तु इस उपधारा की कोई बात न्यायिक आयुक्त के न्यायालय द्वारा, जिसे इस उपधारा द्वारा समाप्त कर दिया गया है तब उस न्यायालय को प्रदत्त शक्तियों के अधीन नियत दिन के पूर्व तामील की गई किसी सूचना, जारी किए गए किसी व्यावेश, दिए गए किसी निदेश या की गई किन्हीं कार्यवाहियों का प्रवर्तन चालू रहने पर न तो प्रतिकूल प्रभाव डालेगी और न उसे प्रभावित करेगी।

4. मुम्बई उच्च न्यायालय की अधिकारिता—नियत दिन से ही मुम्बई उच्च न्यायालय को गोवा, दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र में सम्मिलित राज्यक्षेत्रों की बाबत ऐसी सभी अधिकारिता, शक्तियां और प्राधिकार होंगे जो नियत दिन के ठीक पूर्व प्रवृत्त विधि के अधीन उक्त राज्यक्षेत्रों की बाबत न्यायिक आयुक्त के न्यायालय द्वारा प्रयोग किए जाते थे।

5. संविधान के अध्याय 6 के भाग 6 का गोवा, दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र पर अधिकारिता का प्रयोग करने वाले मुम्बई उच्च न्यायालय को लागू होना—संविधान के भाग 6 के अध्याय 6 के उपबंध मुम्बई उच्च न्यायालय को, गोवा, दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र पर उसकी अधिकारिता के प्रयोग के संबंध में निम्नलिखित अपवादों और उपान्तरों के अधीन रहते हुए लागू होंगे, अर्थात् :—

(क) उक्त अध्याय में, “राज्य” के प्रतिनिर्देशों का, जहां वे “राज्य के राज्यपाल” पद में आते हैं उसके सिवाय, यह अर्थ लगाया जाएगा कि वे गोवा, दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र के प्रति निर्देश हैं;

(ख) अनुच्छेद 233 के खंड (1) और अनुच्छेद 234 में राज्य के राज्यपाल के प्रति निर्देशों का और अनुच्छेद 237 में राज्यपाल के प्रति निर्देश का यह कार्य लगाया जाएगा कि वे गोवा, दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासक के प्रति निर्देश हैं;

(ग) अनुच्छेद 233 के उपबंध लागू नहीं होंगे;

(घ) अनुच्छेद 234 में लोक सेवा आयोग के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह संघ लोक सेवा आयोग के प्रति निर्देश है।

6. अधिवक्ताओं के संबंध में विशेष उपबंध—मुम्बई उच्च न्यायालय द्वारा इस निमित्त बनाये गए किसी नियम या किए गए किसी निदेश के अधीन रहते हुए कोई व्यक्ति, जो नियत दिन के ठीक पूर्व न्यायिक आयुक्त के न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में व्यवसाय करने के लिए हकदार है, मुम्बई उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में व्यवसाय करने के लिए हकदार होगा।

7. न्यायिक आयुक्त के न्यायालय से लम्बित कार्यवाहियों का मुम्बई उच्च न्यायालय को अंतरण—(1) न्यायिक आयुक्त के न्यायालय के समक्ष नियत दिन के ठीक पूर्व लम्बित सभी कार्यवाहियां मुम्बई उच्च न्यायालय को अंतरित हो जाएँगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन अंतरित प्रत्येक कार्यवाही का मुम्बई उच्च न्यायालय द्वारा इस प्रकार निपटारा किया जाएगा मानो ऐसी कार्यवाही उस उच्च न्यायालय द्वारा ग्रहण की गई हो।

(3) न्यायिक आयुक्त के न्यायालय द्वारा नियत दिन के पूर्व किया गया कोई आदेश, समस्त प्रयोजनों के लिए, न केवल उस न्यायालय के आदेश के रूप में बल्कि मुम्बई उच्च न्यायालय के आदेश के रूप में भी प्रभावी होगा।

8. मुम्बई उच्च न्यायालय को अंतरित कार्यवाहियों में हाजिर होने या कार्य करने का अधिकार—किसी व्यक्ति को, जो नियत दिन के ठीक पूर्व, न्यायिक आयुक्त के न्यायालय में विधि व्यवसाय करने का हकदार अधिवक्ता है और उस न्यायालय से धारा 7 के अधीन अंतरित किन्हीं कार्यवाहियों में हाजिर होने या कार्य करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, उन कार्यवाहियों के संबंध में, मुम्बई उच्च न्यायालय में, यथास्थिति, हाजिर होने या कार्य करने का अधिकार होगा।

9. पणजी में मुम्बई उच्च न्यायालय की स्थायी न्यायपीठ का स्थापित किया जाना—नियत दिन से ही पणजी में मुम्बई उच्च न्यायालय की एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना की जाएगी और मुम्बई उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीश, जिनकी संख्या दो से कम नहीं होगी, जिन्हें उस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति समय-समय पर, नामनिर्दिष्ट करे, गोवा, दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र में उत्पन्न होने वाले मामलों की बाबत उस उच्च न्यायालय में उस समय निहित अधिकारिता और शक्ति का प्रयोग करने के लिए पणजी में बैठेंगे :

परन्तु उस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति अपने विवेकानुसार यह आदेश दे सकेगा कि ऐसे राज्यक्षेत्र में उत्पन्न होने वाले किसी मामले या मामलों के वर्ग के बारे में सुनवाई मुम्बई में होगी।

10. मुम्बई उच्च न्यायालय को व्यय का आबंटन—मुम्बई उच्च न्यायालय की बाबत व्यय, जिसके अंतर्गत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, अधिकारियों और सेवकों की बाबत व्यय है, नियत दिन से महाराष्ट्र राज्य और संघ के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किए जाएंगे जो राष्ट्रपति, आदेश द्वारा, अवधारित करें।

11. अर्थान्वयन के नियम—गोवा, दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र में प्रवृत्त किसी विधि में न्यायिक आयुक्त के न्यायालय के प्रति निर्देशों का नियत दिन से ही उस संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में यह अर्थ लगाया जाएगा कि वे मुम्बई उच्च न्यायालय के प्रति निर्देश हैं।

12. 1965 के गोवा, दमण और दीव अधिनियम 16 का संशोधन—नियत दिन से ही, गोवा, दमण और दीव सिविल न्यायालय अधिनियम, 1965 में,—

(i) धारा 2 के खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

‘(ख) “उच्च न्यायालय” से संघ राज्यक्षेत्र पर अधिकारिता रखने वाला मुम्बई उच्च न्यायालय अभिप्रेत है’ ;

(ii) धारा 7 की उपधारा (1) में, “गोवा, दमण और दीव (न्यायिक आयुक्त का न्यायालय) विनियम, 1963 (1963 का 10) और उसके अधीन बनाए गए नियमों में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए” शब्दों, कोष्ठकों और अंकों का लोप किया जाएगा।

13. कठिनाइयां दूर करने की शक्ति—(1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और जो कठिनाइयों को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों :

परन्तु नियत दिन से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् ऐसा कोई आदेश नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस आदेश में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह आदेश नहीं किया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा किन्तु आदेश के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

14. विधियों के अनुकूलन की शक्ति—गोवा, दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में किसी विधि का लागू होना सुकर बनाने के प्रयोजन के लिए, केन्द्रीय सरकार नियत दिन से दो वर्ष के अवसान के पूर्व विधि के ऐसे अनुकूलन और उपान्तरण, चाहे वे निरसन के रूप में हों या संशोधन के रूप में, आदेश द्वारा कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए आवश्यक या समीचीन हों और तब प्रत्येक ऐसी विधि ऐसे किए गए अनुकूलनों और उपान्तरों के साथ तब तक प्रभावी रहेगी जब तक उसे सक्षम विधान-मंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा परिवर्तित, निरसित या संशोधित न कर दिया जाए।